उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

2008 का डब्ल्यूपीएसबी No.330 (एस/बी)

डी. एल. साह

.याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के वकील श्री ए. डी. तिरपति।श्री एच. M.Raturi, राज्य के लिए स्थायी वकील/प्रतिवादी नं.1श्री यू. के. उनियाल, Mr.Sandeep कोठारी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नं.2.

दिनांक 26 अगस्त, 2010

कोरमःमाननीय बारीन घोष, सी. जे. माननीय वी. के. बिस्ट, जे.

बारीन घोष, सी. जे. (मौखिक)

31 अक्टूबर, 2008 को याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गए।इससे पहले 27 अक्टूबर, 2008 को याचिकाकर्ता को उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाते हुए नोटिस दिया गया था और याचिकाकर्ता से इसका जवाब देने के लिए कहा गया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, यह नोटिस उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले तक नहीं दिया गया था।नियोक्ता के अनुसार, यह नोटिस याचिकाकर्ता को उनके सेवानिवृत्त होने से पहले नहीं दिया जा सका था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सेवा से परहेज किया था।तथ्य यह है कि इस नोटिस द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मांग नहीं की गई थी, क्योंकि नोटिस में ही यह स्पष्ट किया गया था कि इसका जवाब देने में विफलता नियोक्ता को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर करेगी।

ऐसी स्थिति होने के कारण, इस सूचना के बल पर, प्रत्यर्थी-नियोक्ता याचिकाकर्ता के किसी भी वैध अंतिम बकाया और दावे को रोकने का हकदार नहीं था।

2. इसलिए हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी-नियोक्ता को याचिकाकर्ता के सभी अंतिम बकाया को तुरंत जारी करने और 27 अक्टूबर, 2008 के उक्त नोटिस के बल पर ऐसा करने से बचने का निर्देश देते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रतिवादी-नियोक्ता द्वारा याचिकाकर्ता से किसी भी धन की वसूली के लिए कोई अन्य वैध कदम उठाया गया है, तो प्रतिवादी नियोक्ता के लिए ऐसी सेरेवाई करने के लिए खुला होगा जो उन्हें सलाह दी जाए, जिसमें पेंशन यद्यपि ग्रेच्युटी को रोकना शामिल है, यदि यह सेनून में अनुमत है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, भविष्य निधि या उस पर ब्याज से कोई हिस्सा नहीं है।

(वी. के. बिस्ट, जे.) (बारीन घोष, सी. जे.) 26.08.2010 26.08.2010

अर्पन